न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुन्तकिली/ टी.ए. / 6386 / 2011 / सीकर

सुशील पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोवटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

-- प्रार्थी

बनाम

1. श्री करण सिंह गोठवाल, पीठासीन अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर।
2. किशोरीलाल पुत्र दीपाराम
3. अमरचंद पुत्र दीपाराम
4. मंगलचंद पुत्र नानूराम
5. बजरंगलाल पुत्र नानूराम, जातिगण कुमावत, निवासीगण ग्राम गोवटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

-- अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री अजयपाल डिढारिया, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक : 21-11-2011

यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 58/2011 उनवानी प्रेमदेवी वगैरह बनाम

किशोरीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05-09-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2- मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 58/2011 उनवानी प्रेमदेवी वगैरह बनाम किशोरीलाल विचाराधीन है। प्रकरण में सुनवाई की तिथि 20-09-2011 नियत है। अपीलीय अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने विपक्षीगण से सांठ-गांठ कर अपील को तीव्र गति से कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी अमरचंद के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। अमरचंद सत्तादल का सक्रिय कार्यकर्ता एवं कबीना मंत्री के नजदीकी कार्यकर्ता है। अप्रार्थी की बात मंत्री टाल नहीं सकते एवं मंत्री के मार्फत पीठासीन अधिकारी को दबाव में लाकर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय करवा देंगे। गत तारीख पेशी दिनांक 14-09-2011 को अप्रार्थी अमरचंद को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते व आधे-आधे घंटे रूक कर बाहर आते देखा हैं। पीठासीन अधिकारी अमरचंद को बाहर छोड़ने आये एवं उसे आश्वस्त किया कि वह फिक्र नहीं करें। सब ठीक कर देंगे। पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् न्यायालय में बैठते ही हमारे प्रकरण में आवाज लगा कर जल्दबाजी दिखाते हुए हमारे वकील को कहा कि आपकी उपस्थिति लगा दी हैं, बहस कर लो, निर्णय के लिए पत्रावली रख ली। इससे पीठासीन अधिकारी के आचरण का पता लगता है कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी की आम-शोहरत

ठीक नहीं हैं, उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

3- विद्धान् अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

4- प्रार्थी के विद्धान् अभिभाषक ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय को बताया कि पीठासीन अधिकारी विपक्षी पार्टी से मिले हुए हैं। अमरचंद उनके कक्ष में मिले एवं पक्षपातपूर्ण रवैया साफ जाहिर होता हैं। दिनांक 14-09-2011 को बहस सुनकर मेरे वकील को साफ कह देना कि बहस सुन ली गई हैं, जल्दबाजी कर मेरे खिलाफ फैसला करने को उतारू हैं। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण अन्य राजस्व अपील प्राधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जावें। अप्रार्थीगण का जो खर्चा होगा, वह प्रार्थी भुगतने को तैयार हैं जब प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त कर दिया है तो प्रकरण की सुनवाई पीठासीन अधिकारी से नहीं करवाई जानी चाहिए। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पड़ौस के किसी राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावें।

5- बहस का जवाब देते हुए विद्धान् अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि अमरचंद अप्रार्थी तो पिछले पांच माह से गुजरात में रह रहा हैं। इन दिनों सीकर आया ही नहीं। प्रार्थी अपील में देरी करना चाहते हैं। दिनांक 14-09-2011 को अमरचंद को पीठासीन अधिकारी से मिलना बताते हैं, यह गलत तथ्य है। अप्रार्थी में से एक तो

विकलांग है व दूसरा गुजरात रहता है। पीठासीन अधिकारी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अपील में सुनवाई नियमानुसार की जा रही है। प्रार्थी द्वारा जो आरोप लगाये जा रहे हैं, वह सामान्यतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में लगाये जाने वाले आरोप ही हैं। अमरचंद का मंत्री या राजनैतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। न ही अमरचंद पीठासीन अधिकारी से कभी मिला हैं। सामान्यतः जो आरोप स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में लगाये जाते हैं, इन अस्पष्ट एवं मन गढन्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने इन तथ्यों के समर्थन में 1994 आर.आर.डी. 117, 151, 2002 आर.आर.डी. 23, 2003 आर.आर.डी. 229, 413, 2003 आर.आर.सी. 131, 365, 2002 आर.बी.जे. 399, 2009 आर.आर.डी. 407 व 2010 आर.आर.डी. 571 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6- न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी श्री करणसिंह गोठवाल की प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार टिप्पणी चाही। श्री गोठवाल ने समस्त बिन्दुओं को अस्वीकार किया। अंत में कथन किया कि यदि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है।

7- हमने बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेज व नजीरों का अवलोकन एवं उन पर विश्लेषण किया।

8- अधीनस्थ न्यायालय में अपील संख्या 58/2011 दिनांक 02-05-2011 को दर्ज रजिस्टर हुई। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर उसी दिन बहस सुनकर अगली तारीख पेशी दिनांक 04-05-2011 तक यथास्थिति के आदेश दिये

गये। ये आदेश प्रार्थी-अपीलार्थी के पक्ष में थे। दिनांक 02-06-2011, 20-06-2011 व 22-07-2011 को अप्रार्थीगण की तामीली की गई। दिनांक 22-07-2011 को ही पत्रावली अंतिम बहस हेतु दिनांक 03-08-2011 तय की गई। दिनांक 03-08-2011 को रेस्पोन्डेन्टस-अप्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर अपीलांट-प्रार्थीगण ने ऐतराज किया। बहस हेतु अगली तारीख पेशी दिनांक 18-08-2011 दी गई। दिनांक 18-08-2011 व 23-08-2011 कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाने बाबत कार्यवाहियों में बीत गई। दिनांक 05-09-2011 को अप्रार्थीगण-रेस्पोन्डेन्ट्स के मौका कमिश्नर नियुक्ति के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर उसी दिन अंतिम बहस हेतु प्रकरण दिनांक 14-09-2011 को नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 05-09-2011 में यह तथ्य आया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपंग है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मजदूरी के लिए बम्बई जाते हैं। अपील को चलते चार माह हो गये। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। उल्टा प्रार्थीगण के पक्ष में यथास्थिति का आदेश प्रारम्भ में ही दिया गया। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण-रेस्पोन्डेन्ट्स का पक्ष करना होता तो मौका कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं करते। अपील में अंतिम बहस हेतु कार्यवाही 03-08-2011 को ही कर दी गई थी।

9- दिनांक 14-09-2011 को अमरचंद अप्रार्थी का पीठासीन अधिकारी से उनके चैम्बर में मिलना, उसका राजनैतिक दल से संबंधित होना, राज्य के मंत्री से

जान–पहचान व उसका प्रभाव इस्तेमाल कर फैसला अपने पक्ष में करवाने का आरोप का कोई औचित्यपूर्ण आधार व सबूत पेश नहीं किये गये । ऐसे आरोप सामान्यतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में लगाये जाते हैं। परन्तु जब तक आरोप प्रमाणिक तौर पर प्रस्तुत नहीं किये जाते, मानने योग्य नहीं है। बिना सबूत के प्रार्थना पत्र में ऐसे आरोप लगा कर इसे प्रतिकूल प्रमाणित करने में सफल नहीं रहे। विद्धान् अभिभाषक प्रार्थी का यह कहना कि मुन्तकिली पर जो भी खर्चा अप्रार्थीगण का होगा, वह देने को तैयार है, यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह का कोई शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया।

10– अप्रार्थीगण के विद्धान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरों में 2003 आर.आर.डी. 229 व 2003 आर.आर.सी. 131 बद्री बनाम धासी एक ही प्रकरण से संबंधित हैं। इसी प्रकार 2003 आर.आर.डी. 413 व 2003 आर.आर.सी. 365 में भी एक ही प्रकरण जरनैलसिंह बनाम शम्भूसिंह मीणा का संदर्भ हैं। यह उद्धरण अवमानना कार्यवाही के विरुद्ध मुन्तकिली से संबंधित है, जो इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते। 2002 आर.आर.डी. 23 भी चस्पा नहीं होता। शेष संदर्भ इस प्रकरण में काफी हद तक चस्पा होते हैं।

11– अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र, जो कि कल्पना एवं आशंका से भरा हुआ हैं, जिसमें सत्य एवं तथ्य का अभाव है एवं जो कानून में निहित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के दुरूपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास है, जिसे स्वीकार नहीं किया

जा सकता। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2-11-2011

(बी. एल. नवल)
सदस्य